



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-19032026-271068  
CG-OR-E-19032026-271068

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1341]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 1341]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 18 मार्च, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी(1989) की धारा बीस ए(20A) के तहत सूचना)

का.आ. 1406(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवडा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर जाडुपुडी(JPI)-सोम्पेटा(SPT) स्टेशनों के बीच KM 642/9-11 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 342 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ पलासा को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवडा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर जाडुपुडी(JPI)-सोम्पेटा(SPT) स्टेशनों के बीच KM 642/9-11 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 342 का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवडा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर जाडुपुडी(JPI)-सोम्पेटा(SPT) स्टेशनों के बीच KM 642/9-11 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 342 का निर्माण" के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:-श्रीकाकुलम

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची							
परियोजना का नाम:-आरओबी-342 का निर्माण							
जिले का नाम:-श्रीकाकुलम, प्रभाग का नाम:-खोर्दा रोड, मंडल का नाम:-कांचिली							
क्रम सं.	मंडल	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/एलपीएम संख्या	कुल भूमि विस्तार	कुल आवश्यक एकड़ में	भूमि का किस्म	भूमि का प्रकार
1	कांचिली	अम्पुरम	704	0.31	0.11	गीला	पट्टा भूमि
2	कांचिली	अम्पुरम	705	0.12	0.12	गीला	पट्टा भूमि
3	कांचिली	अम्पुरम	706	0.10	0.10	गीला	पट्टा भूमि
4	कांचिली	अम्पुरम	707	0.12	0.10	गीला	पट्टा भूमि
5	कांचिली	अम्पुरम	708	0.32	0.16	गीला	पट्टा भूमि
6	कांचिली	अम्पुरम	863	0.17	0.06	गीला	पट्टा भूमि
7	कांचिली	अम्पुरम	864	0.17	0.01	गीला	पट्टा भूमि
8	कांचिली	अम्पुरम	865	0.32	0.05	गीला	पट्टा भूमि
9	कांचिली	अम्पुरम	866	0.06	0.06	गीला	पट्टा भूमि
10	कांचिली	अम्पुरम	867	0.06	0.06	गीला	पट्टा भूमि
11	कांचिली	अम्पुरम	868	0.07	0.07	गीला	पट्टा भूमि
12	कांचिली	अम्पुरम	869	0.18	0.13	गीला	पट्टा भूमि
13	कांचिली	अम्पुरम	870	0.08	0.07	गीला	पट्टा भूमि
14	कांचिली	अम्पुरम	871	0.42	0.18	गीला	पट्टा भूमि
15	कांचिली	अम्पुरम	881	0.46	0.25	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि

16	कांचिली	अम्पुरम	882	0.12	0.04	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
17	कांचिली	अम्पुरम	883	0.12	0.04	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
18	कांचिली	अम्पुरम	884	0.10	0.10	गीला	पट्टा भूमि
19	कांचिली	अम्पुरम	885	0.14	0.08	गीला	पट्टा भूमि
20	कांचिली	अम्पुरम	886	0.42	0.26	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
21	कांचिली	अम्पुरम	887	0.07	0.47	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
22	कांचिली	अम्पुरम	888	0.20	0.06	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
23	कांचिली	अम्पुरम	889	1.00	0.06	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
24	कांचिली	अम्पुरम	900	1.02	0.37	गीला	पट्टा भूमि
25	कांचिली	अम्पुरम	906	0.34	0.01	गीला	पट्टा भूमि
26	कांचिली	अम्पुरम	908	0.17	0.09	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
27	कांचिली	अम्पुरम	909	0.43	0.37	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
28	कांचिली	अम्पुरम	910	0.22	0.02	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
29	कांचिली	अम्पुरम	933	0.13	0.10	गीला	पट्टा भूमि
30	कांचिली	अम्पुरम	934	0.07	0.07	गीला	पट्टा भूमि
31	कांचिली	अम्पुरम	935	0.02	0.02	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
32	कांचिली	अम्पुरम	936	0.02	0.01	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
33	कांचिली	अम्पुरम	937	0.06	0.02	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
34	कांचिली	अम्पुरम	1045	1.62	0.36	पोरम्बोक(पी)	सरकारी जमीन
35	कांचिली	अम्पुरम	1052	1.14	0.05	सूखा	पट्टा भूमि
36	कांचिली	अम्पुरम	1053	0.19	0.15	गीला	पट्टा भूमि
37	कांचिली	अम्पुरम	1054	1.48	0.03	गीला	पट्टा भूमि
38	कांचिली	अम्पुरम	1064	1.78	1.17	गीला	पट्टा भूमि
39	कांचिली	अम्पुरम	1065	0.22	0.17	गीला	पट्टा भूमि
40	कांचिली	अम्पुरम	1066	0.10	0.09	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
41	कांचिली	अम्पुरम	1068	0.12	0.04	सूखा	पट्टा भूमि
42	कांचिली	अम्पुरम	1073	0.08	0.08	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
43	कांचिली	अम्पुरम	1074	0.13	0.13	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
44	कांचिली	अम्पुरम	1075	0.08	0.03	सिंचित सूखा	पट्टा भूमि
45	कांचिली	अम्पुरम	1079	0.57	0.13	गीला	पट्टा भूमि
46	कांचिली	अम्पुरम	1080	0.94	0.09	गीला	पट्टा भूमि
47	कांचिली	अम्पुरम	1084	1.14	0.08	सूखा	पट्टा भूमि

48	कांचिली	अम्पुरम	1133	0.72	0.12	पोरम्बोक(पी)	सरकारी ज़मीन
49	कांचिली	अम्पुरम	1136	0.61	0.13	पोरम्बोक(पी)	सरकारी ज़मीन
				कुल	6.57		

भूमि का सारांश					
अधिग्रहित भूमि					
गाँव का नाम	सरकारी ज़मीन	निजी ज़मीन			कुल अधिग्रहित भूमि
		गीला	सूखा	सिंचित सूखा	
अम्पुरम	0.61	3.75	0.17	2.04	6.57

[फा. सं. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB-342/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य अभियंता(निर्माण-II)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[East Coast Railway(Construction)]**  
**NOTIFICATION**

Bhubaneswar, the 18th March, 2026

**Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989**

**S.O. 1406(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO.342 at KM 642/9-11 between Stations Jadupudi(JPI)-Sompeta(SPT) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division.” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition (CALA) & Revenue Divisional Officer(RDO), Palasa for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO.342 at KM 642/9-11 between Stations Jadupudi(JPI)-Sompeta(SPT) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely "Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.NO.342 at KM 642/9-11 between Stations Jadupudi(JPI)-Sompeta(SPT) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division" in Srikakulam district of Andhra Pradesh state.

Name of the District:-Srikakulam

ANNEXURE-1

LAND SCHEDULE							
Name of the Project:- Construction of ROB-342							
Name of the District:-Srikakulam, Name of the Division:-Khurda Rd.,							
Name of the Mandal:-Kanchili							
Sl. No.	NAME OF THE MANDAL	NAME OF VILLAGE	LPM No.	Total Area in ACRES	Acquired Area in Acres	TOTAL EXTENT LAND	Type of Land
1	KANCHILI	AMPURAM	704	0.31	0.11	WET	Patta Land
2	KANCHILI	AMPURAM	705	0.12	0.12	WET	Patta Land
3	KANCHILI	AMPURAM	706	0.10	0.10	WET	Patta Land
4	KANCHILI	AMPURAM	707	0.12	0.10	WET	Patta Land
5	KANCHILI	AMPURAM	708	0.32	0.16	WET	Patta Land
6	KANCHILI	AMPURAM	863	0.17	0.06	WET	Patta Land
7	KANCHILI	AMPURAM	864	0.17	0.01	WET	Patta Land
8	KANCHILI	AMPURAM	865	0.32	0.05	WET	Patta Land
9	KANCHILI	AMPURAM	866	0.06	0.06	WET	Patta Land
10	KANCHILI	AMPURAM	867	0.06	0.06	WET	Patta Land
11	KANCHILI	AMPURAM	868	0.07	0.07	WET	Patta Land
12	KANCHILI	AMPURAM	869	0.18	0.13	WET	Patta Land
13	KANCHILI	AMPURAM	870	0.08	0.07	WET	Patta Land
14	KANCHILI	AMPURAM	871	0.42	0.18	WET	Patta Land
15	KANCHILI	AMPURAM	881	0.46	0.25	Irrigated DRY	Patta Land
16	KANCHILI	AMPURAM	882	0.12	0.04	Irrigated DRY	Patta Land
17	KANCHILI	AMPURAM	883	0.12	0.04	Irrigated DRY	Patta Land
18	KANCHILI	AMPURAM	884	0.10	0.10	WET	Patta Land
19	KANCHILI	AMPURAM	885	0.14	0.08	WET	Patta Land
20	KANCHILI	AMPURAM	886	0.42	0.26	Irrigated DRY	Patta Land

21	KANCHILI	AMPURAM	887	0.07	0.47	Irrigated DRY	Patta Land
22	KANCHILI	AMPURAM	888	0.20	0.06	Irrigated DRY	Patta Land
23	KANCHILI	AMPURAM	889	1.00	0.06	Irrigated DRY	Patta Land
24	KANCHILI	AMPURAM	900	1.02	0.37	WET	Patta Land
25	KANCHILI	AMPURAM	906	0.34	0.01	WET	Patta Land
26	KANCHILI	AMPURAM	908	0.17	0.09	Irrigated DRY	Patta Land
27	KANCHILI	AMPURAM	909	0.43	0.37	Irrigated DRY	Patta Land
28	KANCHILI	AMPURAM	910	0.22	0.02	Irrigated DRY	Patta Land
29	KANCHILI	AMPURAM	933	0.13	0.10	WET	Patta Land
30	KANCHILI	AMPURAM	934	0.07	0.07	WET	Patta Land
31	KANCHILI	AMPURAM	935	0.02	0.02	Irrigated DRY	Patta Land
32	KANCHILI	AMPURAM	936	0.02	0.01	Irrigated DRY	Patta Land
33	KANCHILI	AMPURAM	937	0.06	0.02	Irrigated DRY	Patta Land
34	KANCHILI	AMPURAM	1045	1.62	0.36	PORAMBOKE(P)	Govt. Land
35	KANCHILI	AMPURAM	1052	1.14	0.05	DRY	Patta Land
36	KANCHILI	AMPURAM	1053	0.19	0.15	WET	Patta Land
37	KANCHILI	AMPURAM	1054	1.48	0.03	WET	Patta Land
38	KANCHILI	AMPURAM	1064	1.78	1.17	WET	Patta Land
39	KANCHILI	AMPURAM	1065	0.22	0.17	WET	Patta Land
40	KANCHILI	AMPURAM	1066	0.10	0.09	Irrigated DRY	Patta Land
41	KANCHILI	AMPURAM	1068	0.12	0.04	DRY	Patta Land
42	KANCHILI	AMPURAM	1073	0.08	0.08	Irrigated DRY	Patta Land
43	KANCHILI	AMPURAM	1074	0.13	0.13	Irrigated DRY	Patta Land
44	KANCHILI	AMPURAM	1075	0.08	0.03	Irrigated DRY	Patta Land
45	KANCHILI	AMPURAM	1079	0.57	0.13	WET	Patta Land
46	KANCHILI	AMPURAM	1080	0.94	0.09	WET	Patta Land
47	KANCHILI	AMPURAM	1084	1.14	0.08	DRY	Patta Land
48	KANCHILI	AMPURAM	1133	0.72	0.12	PORAMBOKE(P)	Govt. Land
49	KANCHILI	AMPURAM	1136	0.61	0.13	PORAMBOKE(P)	Govt. Land
				<b>TOTAL</b>	<b>6.57</b>		

<b>ABSTRACT</b>					
<b>ACQUIRED LAND</b>					
<b>VILLAGE NAME</b>	<b>GOVERNMENT LAND</b>	<b>PRIVATE LAND</b>			<b>TOTAL ACQUIRED LAND EXTENT</b>
		<b>WET</b>	<b>DRY</b>	<b>IRRIGATED DRY</b>	
AMPURAM	0.61	3.75	0.17	2.04	6.57

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB-342/20A]  
AJAY KUMAR SAMAL, Chief Engineer(Con-II)